विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में डेंगू की रोकथाम तथा नियंत्रण पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 53.69 करोड़ निहितार्थ हैं और दो पैराग्राफ ₹ 83.28 करोड़ वित्तीय निहितार्थ के साथ शामिल है।

प्रतिवेदन में शामिल कुछ मुख्य निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

निष्पादन लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में डेंगू की रोकथाम तथा नियंत्रण

दिल्ली 1967 से डेंगू के प्रकोप को सहन कर रही है और सरकार, नगर निगमों तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा कई वर्षों से इसके फैलने को रोकने तथा नियंत्रण के साथ–साथ पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता तथा राहत प्रदान करने हेतू विभिन्न उपाय शुरू किए गए। तथापि, डेंगू का प्रत्येक वर्ष फैलना जारी है, जिससे समस्या का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की प्रतिबद्धता अनिवार्य हो जाती है। जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 की अवधि की एक निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकने के लिए की गई कि क्या सरकारी एजेंसियों और नगर निगमों द्वारा डेंगू नियंत्रण हेतू किए गए उपाय पर्याप्त और प्रभावी थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा.रा.क्षे. दिल्ली में कई वर्षों से डेंगू की पुनरावृति तथा 2015 के दौरान बढ़ते डेंगू के मामलों के साथ–साथ मृत्युदर में हुई वृद्धि के बावजूद, विभागों के साथ–साथ नगर निगमों द्वारा उठाए गए कदम समस्या के परिमाण के अनुरूप नहीं थे यद्यपि निधि की कोई बाधा नहीं थी। पूर्व, उत्तर और दक्षिण के तीनों नगर निगमों (दिननि) के साथ–साथ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (न.दि.न.प.) में प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी थी तथा 967 सूचना देने वाली इकाईयों में से केवल 289 इकाईयाँ (30 प्रतिशत) ने ही राज्य निगरानी इकाई को डेंगू रोगियों के आंकड़ें सूचित किए, जिससे समय रहते हस्तक्षेप कर सकने के लिए निगरानी रखने का सार्थक उद्देश्य विफल हो गया। मच्छर प्रजनन के नियंत्रण हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, उपयुक्त स्वच्छता तथा निर्माण स्थलों, टायर मार्किट, इत्यादि के नियमन के लिए संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ सहयोग अथवा समन्वय के लिए कोई संस्थागत तंत्र भी नहीं था। मलेरिया सर्कल जो मच्छररोधी फील्ड परिचालनों के लिए प्राथमिक इकाई है, में भी उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए आधारभूत अवसंरचना की कमी थी। 67 प्रतिशत से अधिक मलेरिया सर्कलों में पानी के कनैक्शन की कमी थी, 22 प्रतिशत में बिजली कनैक्शन की कमी थी और 88 प्रतिशत में लैंड लाइन्ड टेलिफोन नहीं थे जिसने उनके कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता को क्षीण किया।

इसके अतिरिक्त, डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए संस्थागत प्रबंध कमजोर था। डेंगू कार्यबल जो डेंगू के नियंत्रण हेतू कार्य योजनाओं के लिए गठित किया गया था, अक्रियाशील रहा और दिननि, नदिनप, उत्तरी रेलवे तथा दिल्ली छावनी बोर्ड में तत्काल प्रतिक्रिया दल

गठित नहीं किए गए जो संक्रमण को रोकने अथवा कम करने तथा मच्छर प्रजनन स्थलों को जड़ से समाप्त करने के लिए आपातकालीन कार्यवाही कर सकें। अस्पतालों द्वारा सूचित डेंगू के 67,578 पॉजिटिव मामलों में से, दक्षिणी दिल्ली नगर पालिका ने नोडल एजेंसी के रूप में निदेशालय को केवल 22,436 मामले ही सूचित किए। वर्ष 2015 के लिए जबकि अस्तपतालों ने डेंगू से मृत्यु के 409 मामले रिपोर्ट किये, मृत्यु समीक्षा समिति ने केवल 60 मृत्यु की पुष्टि की।

उपयुक्त कीटनाशकों के चयन के लिए मानक प्रक्रिया की कमी के साथ स्प्रे तथा फॉगिंग प्रयोगों की पर्याप्त देखरेख में कमी ने मच्छररोधी अभियान की प्रभाविकता को कम किया। दिल्ली नगर पालिका ने घरों में लार्वा को लक्ष्य करके घरेलू प्रजनन जाँचकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यो पर किसी पर्यवेक्षण के बिना अथवा उनकी प्रभाविकता के निर्धारण के बिना ₹ 109.43 करोड़ का व्यय किया। इसके अतिरिक्त कुल ₹ 42.85 करोड़ का व्यय मच्छररोधी परिचालनों के लिए अपनाई गई उन तकनीकों तथा रासायनिक घोलों पर किया गया, जो राष्ट्रीय रोगवाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चिकुनगुनिया तथा डेंगू महामारी प्रकोप के नियंत्रण कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में न तो निर्धारित हैं और न ही उनकी सिफारिश की गई है। इनके अतिरिक्त ₹ 79.76 लाख मूल्य के कीटनाशकों के प्रयोग का कोई रिकार्ड नहीं था।

दिल्ली सरकार ने 2013–14 से 2015–16 के दौरान डेंगू की रोकथाम हेतू जागरूकता अभियानों पर ₹ 10.04 करोड़ खर्च किया। तथापि, विज्ञापन सितम्बर और नवम्बर माह के बीच अर्थात डेंगू के प्रकोप के बाद प्रकाशित किए गए, जिससे प्रकोप की रोकथाम के उपायों की जागरूकता उत्पन्न करने का उद्देश्य विफल हो गया। इसी तरह दि.न.नि. ने भी प्रति वर्ष मानसून के पश्चात अपने जन जागरूकता अभियान आरंभ किए।

अनुपालना लेखापरीक्षा

राजीव गाँधी चौक का पुनर्विकास

कनॉट प्लेस (सी.पी.) मूलतः 1929 में एक बाजार–सह–रिहायशी कांम्पलेक्स के रूप में डिजाईन किया गया था। कनॉट प्लेस को वर्ष 1995 में राजीव गाँधी चौक के रूप में पुनः नामित किया गया। बीतते वर्षों में पुराना होने की प्रक्रिया और संरचना में तदर्थ बदलावों एवं निर्माण के परिणामस्वरूप इस हैरिटेज कांम्पलेक्स की समग्र स्थिति में गिरावट आई तथा इसका मूल अग्रभाग विरूपित हो गया। इसके अतिरिक्त, इसके आंतरिक सर्कल के अंदर की तरफ भूमिगत पालिका बाजार तथा राजीव चौक मैट्रो इंटरचेंज टर्मिनल के विकास से सी.पी. में आगंतुकों तथा वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई। जिसके परिणामस्वरूप ट्रैफिक की भीड़ बढ़ी तथा सड़कों पर वाहन ट्रैफिक तथा पदयात्रियों के बीच उलझाव होने लगा। बढ़ती व्यवसायिक गतिविधियाँ तथा जनसंख्या से सी.पी. की सिविक अवसंरचना पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।

परियोजना का सर्वसमावशक उद्देश्य सी.पी. के वास्तुशिल्पयी तथा हैरिटेज स्वरूप का पुनरूद्ध ार करने के साथ ही यातायात तथा पदयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाते हुए राष्ट्रीय राजधानी के इस प्रधान व्यवसायिक केन्द्र में पर्यटकों की अनुभूति तथा अनुभव में सुधार करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। डी.पी.आर. में निहित परियोजना के कार्य क्षेत्र में भारी कटौती कर ₹ 615.20 करोड़ से ₹ 477.02 करोड़ कर दिया गया। केवल बाह्य व आंतरिक सर्कलों में ही अग्रभाग के पुनरूद्धार का कार्य किया गया जबकि भवन के स्थायित्व की स्थिति का अध्ययन नहीं करवाया गया। सबवेज, स्वचालित सीढ़ियां, भूमिगत पार्किंग, भू–दृश्य तथा प्रकाश व्यवस्था में सुधार जैसी सुविधाएं जोकि ट्रैफिक एवं पदयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने तथा पर्यटकों के अनुभवों में सुधार के लिए थी, पूरी नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपयोगी कॉरिडोर, सतह विकास, जलापूर्ति तथा गलियारे के फर्श बनाने पर किया गया ₹ 18.05 करोड़ का व्यय या तो परिहार्य था या निष्फल रहा। इसके साथ ही अग्निशमन तंत्र में ₹ 4.97 करोड़ के व्यय से की गई अग्निशमन क्षमता में बढ़ोतरी का लेखापरीक्षा में आश्वस्त नहीं किया जा सका। टर्नकी परामर्शदाता द्वारा सर्विस टनल बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली तकनीकी में बदलाव के कारण हुए वित्तीय प्रभाव को, लागत ₹ 71.21 करोड़ से ₹ 192.95 करोड़ बढ़ने के बावजूद, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के समक्ष पुनर्विचार एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत नहीं किया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विज्ञापन तथा प्रचार अभियान

सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डी.आई.पी.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे. दि.स.) के कार्यक्रमों, नीतियो तथा कार्य कलापों की सूचना तथा प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है तथा उसके सभी विभागों की प्रचार आवश्यकताओं की देखरेख करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मई 2015 के निर्णय में किसी भी निहित सार्वजनिक हित के बिना विज्ञापन के लिए सार्वजनिक निधियों के मनमाने ढंग से उपयोग को रोकने की दृष्टि से सरकारी विज्ञापन के विषय नियमन पर दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया। लेखापरीक्षा ने डी.आई.पी. एवं अन्य पाँच विभागों व दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित विज्ञापनों के प्रतिवेदनों की, जोकि 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2016 तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय मितव्ययता, दक्षता एवं प्रभावशाली तरीके से वित्तीय मर्यादाओं के अनुरूप हुआ है, नमूना जाँच की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित सिद्धान्त एवं दिशानिर्देश, किये गये व्यय के आकलन एवं मूल्यांकन के लिए मानदण्ड के रूप में अपनाये गये थे।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2013–14 में ₹ 47.74 करोड़ एवं 2014–15 ₹ 27.43 करोड़ का व्यय किया। वर्ष 2015–16 के दौरान किया गया व्यय, डी.आई.पी. द्वारा 2016–17 में किये गये भुगतान, ₹ 20.23 करोड़ सहित कुल ₹ 101.46 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, दूसरे विभागों द्वारा व्यय

और 2015–16 के दौरान प्रिंट एवं वाह्य मीडिया के संदर्भ मे अन्य देयताएं जिनका विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया,शामिल थे।

सार्वजनिक निधि द्वारा वित्तपोषित विज्ञापन एवं प्रचार अभियानों का उत्तरदायित्व सरकार पर होना चाहिए तथा संबंधित राज्य/संघ प्रदेश में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, सेवाओं एवं पहल के बारे में जनता को सूचित करने के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदनों की नमूना जाँच से लेखापरीक्षा ने पाया कि विज्ञापन एवं प्रचार अभियानों पर ₹ 24.29 करोड़ का व्यय वित्तीय मर्यादा के सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुरूप या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित विनियमों पर आधारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था। आगे एक विशिष्ट अभियान में किए गए ₹ 33.40 करोड़ के व्यय का 85 प्रतिशत से अधिक व्यय रा.रा.क्षे. दिल्ली के बाहर के विज्ञापनों से संबंधित था, जो रा.रा.क्षे.दि.स. के उत्तरदायित्व से परे था। लक्षित श्रोताओं की समझ या आवश्यक दृश्यता या पहुँच के लिए कोई पूर्वाभ्यास नहीं था, ना ही कोई अभियान पश्चात प्रभाव आकलन किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी नोट किया कि शब्दार्थ की स्थापना विज्ञापनों पर व्यय में मितव्ययता के उद्देश्य से की गई थी, जो प्राप्त नही हो सका। आवश्यक पंजिकाओ के अनुचित या गैर अनुरक्षण के साथ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को प्राप्त करते हुए विज्ञापन/प्रचार अभियान प्रकाशित करने के लिए प्रस्तावों में कीमत अनुमान के समावेश से संबंधित विद्यमान निर्देशों के गैर अनुपालन ने व्यय नियंत्रण को कम किया एवं विज्ञापन तथा प्रचार पर उत्पन्न देयताओं व किये गये व्यय की यथार्थता एवं व्यापकता का कोई आश्वासन नही दिया।